न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 50/2024 G.C.M.S. No. 2024/190 दर्ज दिनांक : 26.06.2024

अपीलार्थी:

1. जोगाराम पुत्र सवाराम
2. आबु पुत्री सवाराम
3. सोनी पुत्री सवाराम
4. हंजा पुत्री सवाराम
5. गिलू बाई पत्नि सवाराम, जाति रेबारी, निवासीगण नेतरा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जीवी देवी पत्नि प्रभूलाल, जाति खारवाल, निवासी जाखा नगर, सुमेरपुर, जिला पाली।
   दूसरा पता एच.आर.पी. पेट्रोल पंप के सामने, नेतरा (मोटर्स पार्ट्स की दुकान) तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 49/2022 बअनवान जीवीदेवी बनाम जोगाराम में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 49/2022 बअनवान जीवीदेवी बनाम जोगाराम में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 251–क का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि रेस्पोंडेण्ट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 428 है, इसके पूर्व की तरफ अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 421 रकबा 0.6200 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 422/1 रकबा 0.4000 हैक्टेयर की भूमि स्थित है। इस भूमि में से रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी को नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 421 के दक्षिण माठ के सहारे–सहारे रास्ता 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

फीट चौड़ा दिया जावे। खसरा नम्बर 553 रेकर्ड रास्ता है तथा इस रास्ते के चिपते पश्चिम की तरफ अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा अपीलाण्ट के खातेदारी के चिपते पश्चिम की तरफ रेस्पोंडेण्ट के खातेदारी की कृषि भूमि है। अपील के साथ नजरी नक्शे में दर्ज मार्क क, ख जो लाल स्याही से दर्शाया गया है, उक्त रास्ता अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में उपलब्ध करवाये जाने का आदेश पारित किया, जबकि खसरा नम्बर 421 व 422/1 की खातेदारी की कृषि भूमि अपीलाण्ट की है, जो कुल ही 9 बीघा है। इस भूमि में बीचोंबीच रास्ता देकर कृषि भूमि को दो भागों में विभक्त कर दिया है, जिससे अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति है व कृषि भूमि को दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि के बीचोंबीच में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है तथा डी.एल.सी. रेट से दोगुणा राशि दिये जाने का आदेश पारित किया गया, जो प्रतिकर है, रास्ते की भूमि अपीलाण्ट के अकेले के खातेदारी कृषि भूमि में मांगी गई है, इसलिये प्रतिकर के रूप में विधिनुसार भूमि के बदले भूमि दिया जाना ही कानूनन था, परन्तु इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया तथा आदेश जैर अपील पारित कर दिया। खसरा नम्बर 422 पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण है, इस बाबत् प्रकरण संख्या 1123/2018 धारा 91 का दर्ज हुआ, इसके अलावा भी प्रकरण दर्ज हुए तथा मौके पर अपीलाण्ट की माठ है तो इस खसरे के दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ रास्ता दिये जाने का विकल्प था, परन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवायी गई, उक्त मौका रिपोर्ट विधिनुसार नहीं हैं तथा दोनों मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई हैं। अगर तैयार की गई होती तो वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लायी जाती। आर. आई. द्वारा खसरा नम्बर 422 के दक्षिण की तरफ जो मौके पर रास्ता उपलब्ध है, इस बाबत कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, न ही अन्य कोई विकल्प उपलब्ध हों, इस पर भी गौर नहीं किया गया व बाले–बाले रेस्पोंडेण्ट को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई तथा जो राशि बतायी गई है, वह भी विधिनुसार नहीं है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि जवाई नहरी द्वितीय है तथा उपजाउ भूमि हैं, इसलिये डी.एल.सी. भी कम निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के की अवहेलना कर उक्त आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोंडेंट द्वारा ग्राम नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अपीलांट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 428 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 421 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह उज्र लिया कि खसरा संख्या 422 व 423 के मध्य प्रार्थिया के लिए पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई।
3. अधीनस्थ न्यायालय में संबंधित भू.अ.नि. द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रार्थिया की आराजी के लिए रास्ते का अभाव होना अंकित किया है तथा खसरा संख्या 421 की दक्षिण सीमा के सहारे 44 मीटर लंबा रास्ता प्रस्तावित किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया विकल्प लंबी दूरी का है। जबकि प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है व इसके अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का विकल्प नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 428 तक पहुंच के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता निकटतम दूरी का होने के साथ–साथ अपीलांट्स की आराजी की सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित किया गया है। ताकि आराजी विभाजित नहीं हों। अतः हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुरूप रास्ता स्वीकृत किया गया है।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 49/2022 बअनवान जीवीदेवी बनाम जोगाराम में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली